न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प रीवा म0प्र0

472
13.8.14

Rs. 20/-

97

R-3070-III/14

(1) रमाकान्त तनय जानकी निवासी बटोला थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

(2) गणेश तनय सुग्रीव निवासी ग्राम बटोला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

(3) ऐतवारी तनय देवीदीन पाल साकिन बटोला थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

श्री एस.पी. ... द्वारा आज दिनांक 13.8.14 को प्रस्तुत किया गया। 13.8.14 रीडर ऑफ कोर्ट

==== अपील आवेदकगण

बनाम

1- जवाहरलाल तनय शिवचरण कोल साकिन बटोला तहसील हनुमना जिला रीवा

2- चित्रसेन तनय साधूलाल चमार

3- बुद्धसेन तनय साधूलाल

4- रामसेन तनय साधूलाल

5- रामनरेश तनय इन्द्रलाल

क्रमांक 2715
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 25.8.14 को प्राप्त
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6- रामकली पिता समई पति हीरालाल कोल

07- सुरेश तनय रामचरण कोल

08- रामश्रीलाल तनय पियारे कोल

00- सभी निवासी ग्राम बटोला तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

09- मत्थूलाल तनय शंभू साकिन निवासी हर्दिहाई तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

10- रामानुज तनय गया चमार सा0 कोठार तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

11- ऐतवारी तनय गया चमार सा0 कोठार तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

12- मुन्नालाल तनय गया चमार सा0 कोठार तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

13- छोटी तनय समई चमार सा0 मऊगंज तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

क्रमशः :2..पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3070/III/16 जिला रीवा

रमाकांत सिंह — जवाहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-08-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस०एन० शुक्ला को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 21-7-14 में यह अंकित किया जाना कि "व्यवहार न्याया० के प्रकरण क्र० S8ए/2003 आदेश दिनांक 13-4-07 के द्वारा निराकरण किया जा चुका है। माननीय व्यवहार न्याया० का आदेश राजस्व न्याया० पर बंधनकारी है के आधार पर अपील को ग्राह्यता के स्तर पर ही समाप्त किया जाना उचित नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यवहार न्याया० द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है बल्कि वाद को वापस लेने की अनुमति दी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं व्यवहार न्याया० के आदेश दिनांक 13.4.07 का अवलोकन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 21-7-14 का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत यह तथ्य प्रकट हुए कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई निर्णय पारित न करते हुए मात्र वाद	

[कृ. प. उ.

R- 3070/III/14 रीवा

स्थान तथा दिनांक	मोकांतसिंह कार्यवाही तथा आदेश जवाहर सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों, आदि के हस्ताक्षर
	को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई है और सिविल -न्याया० के इस आदेश दिनांक 13.4.07 को आधार मान कर अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपर आयुक्त को चाहिए था कि वे प्रकरण मे गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित करते। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 21-7-14 निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधि संगत आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	